FROM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम–28)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प-कोर्ट– बोरखेडा

श्री सुजा पिता धन्ना गुर्जर — बनाम — भँवर पिता गोधा जाट

निवासी– केसरपुरा — निवासी– बोरखेडा

किस्म मुकदमा–ईजराय प्रार्थना पत्र — प्रकरण संख्या– 22/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 226/2014 निर्णय दिनांक 15.05.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा ने अपने पत्र राजस्व/2018/6 दिनांक 08.06.2018 से माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के अपील प्रकरण संख्या– 213/67 /2018 भँवर बनाम सुजा की आदेशिका की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिस अनुसार माननीय अपील न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण 226/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 की पालना स्थगित रखी गई है । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 की पालना किया जाना सम्भव नही होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय खारिज किया जाना उचित समझता है । प्रकरण में माननीय अपील न्यायालय द्वारा जो अन्तिम निर्णय पारित किया जायेगा , जिसकी पालना हेतु पक्षकार स्वतन्त्र होंगें । तदनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करे आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को खुली लोक अदालत बोरखेडा में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा केम्प	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner